रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 532] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 1976/अग्रहायण 23, 1898

No. 532] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 1976/AGRAHAYANA 23, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December 1976

S.O. 794(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and nineteenth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA)",

(a) under sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (KRISHI VIBHAG)".

(i) for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:—

"6. Planning, development and control of, and assistance to, all industries the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to:—

(a) Processing and refrigeration of certain agricultural products (Milk powder, Infant milk food, Malted milk food, Condensed milk, Ghee and other dairy products, Meat and meat products;

(b) Development of agricultural industries including machinery, fertilizer seeds and cattle-feed with the limitation that in regard to the development of agricultural industries including machinery and fertilizer, the functions of the Department of Agriculture (Krishi Vibhag) do not go further than the formulation of demands and the fixation of targets;

(c) Shellac Industry; and

(d) Processing of fish (including canning and freezing).";

(ii) in entry 7, the words "and processing of fish for industrial purposes" shall be omitted;

(b) under sub-heading "B. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)", for entry 7, the following entry shall be substituted, namely:—

"7. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to:—

(a) Fruit and vegetable processing industry (including freezing and dehydration);

(b) Sugar Industry (including development of gur and Khandsari); and

(c) Foodgrain milling industry.";

(2) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)".

(a) under sub-heading "A. DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE (VIDESH VYAPAR VIBHAG)", for entry 8, the following entry shall be substituted, namely:—

"8. Policies of State trading and performance of organisations established for the purpose, including;

(i) State Trading Corporation and its following subsidiaries:—

(a) Cashew Corporation of India;

(b) Projects & Equipment Corporation of India.

(ii) Mineral & Metals Trading Corporation.";

(b) under sub-heading "C. DEPARTMENT OF TEXTILES (VASTR VIBHAG)", after entry 8, the following entry shall be added, namely:—

"9. Handloom Development Commissioner.";

(3) under the heading "MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHIKSHA AUR SAMAJ KALYAN MANTRALAYA)", under sub-heading "A. DEPARTMENT OF EDUCATION (SHIKSHA VIBHAG)", for entry 24, the following entry shall be substituted, namely:—

"24. Grant of permission to teachers of Universities colleges and institutions of higher learning to accept assignments abroad.";

(4) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)", under sub-heading "A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)", for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:—

"6. Planning development and control of, and assistance to, all industries other than those dealt with by any other Department, but including industries relating to bread, oilseed meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery (including Cocoa processing and Chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods), instant Tea and Coffee.".

F. A. AHMED,
President.

[No. 74/2/6/76-CF]

R. M. AGRAWAL, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(मंत्रिमंडल कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1976

का० आ० 794(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(1) "कृषि और सिंचाई मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत,

(क) "क. कृषि विभाग" उप-शीर्षक के अन्तर्गत,

(i) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"6. वे उद्योग, जिनके लिए संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक वे निम्नलिखित से सम्बद्ध है:—

(क) कुछ कृषि उत्पादों (दुग्ध चूर्ण, शिशु दुग्ध आहार, माल्ट मिश्रित दुग्ध आहार, संघनित दुग्ध, घी और अन्य डेरी उत्पाद), मांस और मांस उत्पादों का संसाधन और प्रशीतन;

(ख) कृषि उद्योगों (मशीनरी, उर्वरक, बीज और पशु खाद्य सहित) का इस परिसीमा के साथ विकास कि कृषि उद्योगों (मशीनरी और उर्वरक सहित) के विकास के बारे में कृषि विभाग के कृत्य मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों;

(ग) शल्क लाख उद्योग; और

(घ) मछलियों का संसाधन (जिसके अंतर्गत डिब्बों में बन्द करना और हीमीकरण भी सम्मिलित है) ।" ;

(ii) प्रविष्टि 7 में, "तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए मछलियों का संसाधन" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "ख. खाद्य विभाग" उप-शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"7. वे उद्योग, जिनके लिए संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक उनका सम्बन्ध निम्नलिखित से है :—

(क) फल और सब्जी संसाधन उद्योग (जिस के अन्तर्गत हिमीकरण और निर्जलीकरण आते हैं) ;

(ख) शर्करा उद्योग (जिसके अन्तर्गत गुड़ और खंडसारी आते हैं) ; और

(ग) खाद्यान्न पिसाई उद्योग ।" ;

(2) "वाणिज्य मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत,

(क) "क. विदेश व्यापार विभाग" उप-शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"8. राज्य व्यापार की नीतियां और इस प्रयोजन के लिए स्थापित संगठनों का कार्य, जिनमें ये आते हैं :—

(i) राज्य व्यापार निगम और उसकी निम्नलिखित सहायक संस्थाएं :—

(क) भारतीय काजू निगम;

(ख) भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम ।

(ii) खनिज और धातु व्यापार निगम ।" ;

(ख) "ग. वस्त्र विभाग" उप-शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 8 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

9. हथकरघा विकास आयुक्त ।" ;

(3) "शिक्षा विभाग और समाज कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, "क. शिक्षा विभाग" उपशीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 24 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"24. विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को विदेशों में नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करना।" ;

(4) "उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, "क. औद्योगिक विकास विभाग" उपशीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"6 किसी अन्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों से भिन्न समस्त उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण और उनको सहायता, परन्तु उनके अन्तर्गत, डबल रोटी, तिलहन चूर्ण (खाद्य), नाश्ते के आहार, बिस्कुट, मिष्ठान्न (जिसके अन्तर्गत कोको संसाधन और चाकलेट बनाना भी आता है), माल्टसार, पृथक्कृत प्रोटीन, उच्च प्रोटीन आहार, स्तन्य त्याग आहार और उत्पारित (एक्सट्रूडिड) खाद्य उत्पाद (जिनके अन्तर्गत तत्काल खाने योग्य अन्य आहार आते हैं), तत्काल तैयार की जाने वाली चाय और कहवा, से सम्बद्ध उद्योग आते हैं।"

फ़खरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति।

[सं० 74/2/6/76-सी० एफ़०]
आर० एम० अग्रवाल, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976